पत्र संख्या/एफ0टी0. 48–5174/2020 (एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लॉगवुड, शिमला,
हिमाचल प्रदेश–171001

दिनांक शिमला–1 20 APR 2023

विषयः **Diversion of 9.3408 ha. of forest land in favour of HPSEB Ltd., for the construction of Hail Hydro Electric Project (18.00 MW) HEP, within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh. (Online No. FP/HP/HYD/52179/2020)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 08बी0/एच0पी0/01/45/2021/एफ0सी0 दिनांक 07/06/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

2 प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

3 **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने परिभ्रांषित वन भूमि पर अर्थात 18.70 है0 Chiulli UPF, Tissa Forest Range, Churah Forest Division, Distt. Chamba, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाएगा। चूंकि जमीन राज्य सरकार के कब्जे में हैं। अतः FCA Guidelines के Para 2.4 (iii) के अनुसार CA Land को विधिवत् स्वीकृति से पूर्व राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित किया जाए एवं नियमानुसार अगर आवश्यक हो तो IFA, 1927 के अंतर्गत PF/RF अधिसूचित किया जाए। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि सी0ए0 क्षेत्र के सही Compartment / खसरा की जानकारी प्रस्तुत की गई है । इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

(ग) वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि उक्त भूमि पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

(घ) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर सहमति जताई है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण / सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गई है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

4. **शुद्ध वर्तमान मूल्यः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आश्य पर अपनी सहमति जताई है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देषों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर अपनी सहमति जताई है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा। प्रतिलिपि संल्गित है।

5. The revised NPV bill has been enclosed herewith.

6. माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 द्वारा एफ0सी0ए0 / एफ0आर0ए0 के तहत दिनांक 08.02.2023 के आदेशानुसार वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है।

7. DFO concerned has submitted that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance

report for seeking Stage-II approval, as the case may be. The undertaking is enclosed herewith.

8. The DFO concerned has submitted that the all the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone , shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the saving Bank Account pertaining to the State Concerned. The undertaking is enclosed herewith.

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख–रेख में रोपित कर greenery को maintain करने के बाबत वचन बद्धता प्रस्तुत करेगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्ति किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 166 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

13. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई–पोंटल के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण लागत एव आकस्मिक शुल्क, और शुद्ध वर्तमान मूल्य,Cost of CAT Plan (CA=Rs.40,67,963/-+ NPV= Rs. 99,89,705/-+ Cost of CAT Plan= Rs. 2,49,00,000/-Total.=Rs. 3,89,57,668/-) की राशि Adhoc-CAMPA मे जमा किये गए है। प्रतिलिपि संल्गित है।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

15. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

16. वन भूमि एवं आसपास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आश्य की वचन बद्धता सल्गित है।

17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पित ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत्र से पर्याप्तः लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा तथा हर एक पिलर्स पर कम संख्या, डी0जी0पी0एस0 Coordinates तथा Forward/Backward bearings अंकित हो। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

20. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

21. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

22. The State Government/User agency Shall ensure adherence to stipulated E-flow as recommended by Govt. of Himachal Pradesh, Hon'ble NGT, MoEF& CC, Govt. of India and any other regulatory authority for the conservation and development of aquatic flora and fauna. The undertaking is enclosed herewith.

23. Any other condition that the concerned Regional Office of this ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the user agency/state Government may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines for the time being in force, as applicable to the project. The undertaking is enclosed herewith.

24. State Govt. shall ensure that the user agency shall comply the provisons of all Rules, regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force as applicable to the project. The undertaking is enclosed herewith.

25. CAT Plan for the treatment of micro watershed of this project, in consonance with comprehensive CAT Plan of Ravi Basin, shall be prepared and implemented in consultation with state Forest department at the project cost. The undertaking is enclosed herewith.

26. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

27. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्य पर सहमति जताई है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थल के लिए चिन्हित 1.5435 है0 भूमि को राज्य वन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा तथा राज्य सरकार मलवा निस्तारण स्थलों पर विद्यमान वृक्षों की सूची इस कार्यालय को अलग से उपलब्ध करवाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

28. The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the concerned Regional Office of the Ministry regularly. The undertaking is enclosed herewith.

29. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आष्य पर अपनी सहमति जताई है कि यदि कोई अन्य संबन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी रहेगी। इस आश्य की वचन बद्धता संल्गित है।

30. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी। इस आशय की वचन बद्धता संल्गित है।

31. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आष्य पर अपनी सहमति जताई है कि अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0) हि0प्र0